

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-118/2024/ दिनांक :

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
नागौर।

विषय: डॉ० रामकिशन नागौरी सेवानिवृत्त वरिष्ठ विशेषज्ञ को विभागीय जॉच बकाया न होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ: निदेशालय के राजकाज रेफरेन्स नं० 5544902 दिनांक 07.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा डॉ० रामकिशन नागौरी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ विशेषज्ञ के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 126/2015 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना जिला नागौर के आदेश दिनांक 06.11.2023 के विरुद्ध जिला कलक्टर नागौर द्वारा लिये गये अपील/नो अपील के निर्णय की प्रति भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो प्राप्त होना अपेक्षित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि डॉ० रामकिशन नागौरी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ विशेषज्ञ के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 126/2015 में माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना जिला नागौर के आदेश दिनांक 06.11.2023 के विरुद्ध जिला कलक्टर नागौर द्वारा लिये गये अपील/नो अपील के निर्णय की प्रति भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 31/05/2024

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-118/2024/219

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7570185

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Additional Director
Date :29-05-2024 04:09:22